



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227394  
CG-DL-E-07062021-227394

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943

No. 214]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2021

फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,—

सारणी में,—

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) पंजाब के नीचे क्रम संख्या 3 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“4	फूड लेबोरेटरी (एफ़ डी ए), पंजाब पंजीकरण सं. 66 / एन / एफ़एसएसएआई / 2021 एफ़ डी ए बिल्डिंग, नागरिक अस्पताल के पास, खरड- 140201, एस ए एस नगर, पंजाब	रासायनिक”।

(ख) राजस्थान के नीचे क्रम संख्या 8 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“9	पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, उदैपुर पंजीकरण सं. 68 / एन / एफएसएसएआई / 2021 एम. बी सरकारी अस्पताल कैम्पस, ट्रामा केंद्र के पास, उदैपुर, राजस्थान-313001	रासायनिक एवं जैविक ।
10	पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, अजमेर पंजीकरण सं. 69 / एन / एफएसएसएआई / 2021 इ-01, कमला नेहरु टी.बी. अस्पताल के पीछे, जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान-305001	रासायनिक ।
11	पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, भरतपुर पंजीकरण सं. 70 / एन / एफएसएसएआई / 2021 कंपनी बाघ, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे, स्वास्थ्य भवन के पास, भरतपुर, राजस्थान-321001	रासायनिक”।

(ग) उत्तराखण्ड के नीचे क्रम संख्या 1 के पश्चात संबंधित कॉलमो में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“2	स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, रुद्रपुर पंजीकरण सं. 67 / एन / एफएसएसएआई / 2021 पुराना जे.एल.एन. सरकारी अस्पताल कैम्पस, इंद्रा चौक के पास, किच्छा रोड, उदम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड	रासायनिक”।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित ‘ख’ में, महाराष्ट्र के नीचे क्रम संख्या 30 के पश्चात संबंधित कॉलमो में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“31	म्युनिसिपल एनालिस्ट लेबोरेटरी, मुंबई पंजीकरण सं. 56 / डब्ल्यू / एफएसएसएआई / 2021 दूसरी मंजिल, जी/उत्तरी वार्ड कार्यालय, हरीशचंद्र येल्वे मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400028	रासायनिक एवं जैविक”

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित ‘ग’ में,

(क) कर्नाटक के नीचे क्रम संख्या 13 के पश्चात संबंधित कॉलमो में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“14	ए एल एस टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक पंजीकरण सं. 70 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 सं. 65, बोम्मासंद्रा जिगानी लिंक रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक-560105	रासायनिक एवं जैविक”।

(ख) तमिलनाडु के नीचे क्रम संख्या 20 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“21	फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, गिंडी पंजीकरण सं. 71 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 सरकारी विश्लेषक का कार्यालय, चेन्नई, गिंडी, तमिलनाडु-600032	रासायनिक एवं जैविक”।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./75/2021-22]

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (ई), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (ई), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (ई), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (ई), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (ई), दिनांक 8 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (ई), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (ई), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;

- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020;
- (xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- (xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021 और
- (xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2021

**F. No. 12012/01/2019-QA.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely:—

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION,

(a) under **Punjab** after serial number 3, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“4	Food Laboratory (FDA), Punjab Reg. No. 66/N/FSSAI/2021 FDA Building, Near Civil Hospital, Kharar-140201, SAS Nagar, Punjab	Chemical”

(b) under **Rajasthan** after serial number 8, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“9	Public Health Laboratory, Udaipur Reg. No. 68/N/FSSAI/2021 M. B Govt. Hospital Campus, Near Trauma Centre, Udaipur, Rajasthan-313001	Chemical Biological
10	Public Health Laboratory, Ajmer Reg. No. 69/N/FSSAI/2021 E-01, Behind Kamla Nehru T.B. Hospital, Jaipur Road, Ajmer, Rajasthan-305001	Chemical
11	Public Health Laboratory, Bharatpur Reg. No. 70/N/FSSAI/2021 Company Bagh, Behind R.B.M. Hospital, Near Swasthya Bhawan, Bharatpur, Rajasthan-321001	Chemical”

(c) under **Uttarakhand** after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2	State Food and Drug Testing Laboratory, Rudrapur Reg. No. 67/N/FSSAI/2021 Old J.L.N Govt. Hospital Campus, Near Indra Chowk, Kichha Road, Udam Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand	Chemical”

2. in ‘B’ related to WESTERN REGION, under **Maharashtra** after serial number 30, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“31	Municipal Analyst Laboratory, Mumbai Reg. No. 56/W/FSSAI/2021 2 <sup>nd</sup> Floor, G/North Ward Offices Harishchandra Yelve Marg, Dadar (W), Mumbai, Maharashtra- 400028	Chemical Biological”

3. in ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(a) under **Karnataka** after serial number 13, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“14	ALS Testing Services India Private Limited, Karnataka Reg. No. 70/S/FSSAI/2021 No. 65, Bommasandra Jigani Link Road, Bengaluru, Karnataka-560105	Chemical Biological”

(b) under **Tamil Nadu** after serial number 20, the following entries shall be inserted in respective columns namely.—

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“21	Food Analysis Laboratory, Guindy Reg. No. 71/S/FSSAI/2021 Office of the government Analyst, Chennai Guindy, Tamil Nadu-600032	Chemical Biological”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[F.No. ADVT/III/4/Exty./75/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19<sup>th</sup> Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28<sup>th</sup> March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13<sup>th</sup> June, 2018,

- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12<sup>th</sup> December, 2018,
- xii. S.O. number 1377(E) dated 8<sup>th</sup> March, 2019,
- xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8<sup>th</sup> May, 2019
- xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6<sup>th</sup> August, 2019
- xv. S.O. number 3428 (E) dated 18<sup>th</sup> September, 2019
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23<sup>rd</sup> July, 2020,
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4<sup>th</sup> December, 2020,
- xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12<sup>th</sup> January, 2021,
- xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10<sup>th</sup> February, 2021 and
- xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10<sup>th</sup> March, 2021.